राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 40/2019

1. सुन्दरी देवी पत्नी मालाराम
2. बालुराम पुत्र मालाराम
3. कैलाश पुत्र मालाराम
4. माड़ी देवी पुत्री मालाराम
5. केशरी देवी पुत्री मालाराम
6. मन्नी देवी पुत्री मालाराम
7. श्रवणी देवी पत्नी बैजूराम
8. कैलाशी पुत्री बैजूराम
9. पप्पू देवी पुत्री बैजूराम
10. महावीर पुत्र बैजूराम
11. रोहताश पुत्र बैजूराम
12. जगदीश पुत्र बैजूराम
13. कृष्ण पुत्र बैजूराम
14. बनवारी पुत्री चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. बालुराम पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. उप पंजियक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक :– 12–03–2021**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खरखड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि [illegible] 5 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 864 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 [illegible] 17 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार वादीगण का पूर्वज चन्दरा पु[illegible]12 से संवत् 2029 तक की जमाबंदियों में दर्ज रिकार्ड [illegible] के हैं जो [illegible] चन्दरा पुत्र जीवन के वारिशान है। खातेदार चन्दरा पुत्र [illegible] के तीन पुत्र माल[illegible]जुराम व बनवारी पैदा हुए जिनमं मालाराम फौत हो गया [illegible]सके वारिशान वादी [illegible]लगायत 6 हैं तथा बैजूराम भी फौत हो गया जिसके वारिशान वादी सं. 7 लगायत 13 है वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पूर्वज चन्दरा पुत्र जीवन के जीवनकाल से ही वादीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का बाहमी बंटवारा करके काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसमें वादी सं. 1 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा है तथा वादी सं. 7 लगायत 13 का 1/3 हिस्सा व वादी सं. 14 का 1/3 हिस्सा है। पैमाईश में वादीगण के पूर्वज चन्दरा पुत्र जीवन की खातेदारी भूमि गत ख.नं. 864 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा सहवन से या राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई जिसके नये खसरा नंबर 824 रकबा 3.15 है. उक्त भूमि पैमाईश के बाद बनी समस्त जमाबंदियों में व मिसल हैकियत में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जबकि उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वज चन्दरा के जीवनकाल से ही बाहमी बंटवारा करके काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ग्राम खरखड़ा से नया राजस्व ग्राम बसन्त बिहार सृजित होने पर उक्त भूमि ख.नं. 824 रकबा 3.15 है. से नये खसरा नंबर 229 रकबा 3.15 है. बने है जो हाल जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 94 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है जबकि प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि पर आज तक कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण ने उक्त भूमि पर अपने–अपने मकान बना रखे हैं व कुआ बना रखा है एवं बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण की उक्त पैतृक भूमि खसरा नंबर 229 रकबा 3.15 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण को भारी हकतलफी है। इसलिये वादीगण अपनी उक्त पैतृक भूमि का अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 1 को गलत रिकार्ड के आधार पर वादीगण की उक्त वाद वर्णित पैतृक भूमि हाल ख.नं. 229 रकबा 3.15 है. को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का व वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम से दर्ज गलत रिकार्ड के आधार वादीगण की उक्त पैतृक भूमि को बेचान, रहन, दान आदि कर देता है वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाता है तो वादीगण अपने हक व अधिकारों से व अपनी पैतृक भूमि से वंचित हो जायेंगे जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिये वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवायें। इसलिये वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि –

(क) वाके ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 94 के खसरा नंबर 229 रकबा 3.15 है. में वादी सं. 1 लगायत 6 को 1/3 हिस्से का तथा वादी सं. 7 लगायत 13 को 1/3 हिस्से का व वादी सं. 14 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह दौराने दावा विवादित भूमि ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 94 के खसरा नंबर 229 रकबा 3.15 है. को किसी अन्य को बेचान, रहन, दान आदि ना करें एवं अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व न ही अपने परिजनों, अनुचरों आदि से करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

(ग) प्रतिवादी सं. 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि यदि प्रतिवादी सं. 1 दौराने दावा विवादित भूमि ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 94 के खसरा नंबर 229 रकबा 3.15 है. की बाबत किसी प्रकार विक्रय पत्र, दानपत्र, रहननामा या अन्य हस्तांतरण पत्र का

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु पेश करें तो उसे पंजीयन नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवाये।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 94 के खसरा नंबर 229 रकबा 3.15 है. में वादी सं. 1 लगायत 6 को 1/3 हिस्से का तथा वादी सं. 7 लगायत 13 को 1/3 हिस्से का व वादी सं. 14 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद कर दिया जावे तथा उक्त भूमि में मुझ प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे इसके लिये मैं प्रतिवादी सं. 1 सहमत हूं। प्रतिवादी सं. 2 व 3 का जरिये तहसीलदार, खेतड़ी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वाद पत्र की खण्ड सं. 1 लगायत 11 में वर्णित तथ्यात्मक बिन्दु स्वीकार है। शेष बिन्दु कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 (प्रदर्श–1), नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं.94 (प्रदर्श–2), नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2072–2075 (प्रदर्श–3), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4), मिसल हैकियत संवत् 2043 (प्रदर्श–5), जमाबंदी संवत् 2026–29 (प्रदर्श–6), संवत् 2018–21 (प्रदर्श–7), संवत् 2012–15 (प्रदर्श–8) पेश किये गये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र बालूराम पुत्र मालाराम (पी. डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात (प्रदर्श–1 से प्रदर्श–8) एवं वाद पत्र के अभिवचनों व जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2012–15, 2018–2021 व 2026–2029 के अनुसार ग्राम खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं का विवादित खसरा नंबर 864 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी चन्दरा पुत्र जीवन जाति गूजर सा.देह के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। इसके पश्चात् राजस्व ग्राम खरखड़ा में सैटलमेन्ट की कार्यवाही प्रारम्भ होने से चौशाला जमाबंदी का निर्माण नहीं हुआ। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल की नकल के अनुसार पैमाईश के बाद गत् खसरा नंबर 864 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 824 रकबा 3.15 है. कायम किया गया है तथा मिशल हैकीयत संवत् 2043 के अनुसार ग्राम खरखड़ा के विवादित खसरा नंबर 824 रकबा 3.15 है. की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 बालूराम पुत्र लादूराम जाति गूजर सा.देह के नाम पर दर्ज है। यही प्रविष्टि कालान्तर में बदस्तूर जारी रही। तत्पश्चात् उक्त ग्राम से नवीवन राजस्व ग्राम बसन्त बिहार का सृजन होने से यह खसरा नंबर बसन्त बिहार में समाविष्ट हो गया तथा सलंग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इस खसरे के ग्राम बसन्त बिहार में नवीन खसर नंबर 229 बना जो संलग्न जमाबंदी वाके ग्राम बसन्त बिहार संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में बदस्तूर दर्ज है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज हो गई। लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajbal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 94 खसरा नंबर 229 रकबा 3.15 है. भूमि में वादी सं. 1 लगायत 6 को 1/3 हिस्से का, वादी सं. 7 लगायत 13 को 1/3 हिस्सें का एवं वादी सं. 14 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 बालुराम पुत्र लादुराम का नाम हजफ किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested